कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

Telephone No. 07744-226189 Fax No. 07744-224422 E-mail-rajnandgaon.court@nic.in

-: सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन :-

क्रमांक 1709/दो-11-8/2026 राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2026

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- **14.08.2026 संध्या 5.00 बजे तक**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार रिक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक ग्रेड-3 (कोर्ट मैनेजर अमले)) के पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों एवं भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

-: रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	पद का नाम (तृतीय श्रेणी संवर्ग)	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का विवरण															
			अनारक्षित				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी)	**03**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-
2.	सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक-04, आदेशिका लेखक-10, साक्ष्य लेखक-5, सहायक ग्रेड-3-1)	**20**	**7**	**3**	**1**	-	**2**	-	-	-	**5**	**1**	-	-	**1**	-	-	-
	योग -	**23**	**8**	**3**	**1**	-	**2**	-	-	-	**7**	**1**	-	-	**1**	-	-	-

महत्वपूर्ण टीप :-

1. पद की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजोंटल आरक्षण दिया जायेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन ना होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जायेगा, बल्कि उसी प्रवर्ग से पुरूष उम्मीद्वार द्वारा भरा जावेगा।
3. भूतपूर्व सैनिक को नियमानुसार हॉरिजोंटल आरक्षण दिया जायेगा, किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जाएगा बल्कि उसी प्रवर्ग के पुरूष/महिला उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेगे।
4. विज्ञापन में कोई भी Corrigendum (शुद्धीपत्रक) जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि चयन समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ के मूल निवासियों के लिए हैं। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग अभ्यार्थियों इस भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में ही माने जाएंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।**
6. महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है।
7. अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को चयन समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जावेगी।
8. यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त या स्थगित किया जा सकता है।
9. आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
10. **भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।**

–: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

(1) स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (हिन्दी) के पद के लिये –

अ– छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेबल–07(रूपये 28700–91300)

ब– शैक्षणिक योग्यता –

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान होना चाहिए।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए।
5. यह अपेक्षित है कि उम्मीद्वार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

(2) सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर अमले)) पद के लिये –

अ– छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेबल–04 (रूपये 19,500–62,000)

ब– शैक्षणिक योग्यता –

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा ;
2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा;
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीद्वार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

–: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन

विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) **<u>उच्चतम आयु सीमा में छूट</u>**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:–

3(एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

3 एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

3(एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीन्जेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3(एक)(4)– ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः– छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

3(एक)(5)- ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3(एक)(6)- ऐसे महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3(एक)(7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3(एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जावेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3(एक)(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

3(दो)(1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3(दो)(2)- विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 1-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3(दो)(3)- उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-10/2004/1-9 दिनांक 6 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप -

(1) बिंदु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता हैं, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण - यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

(4) यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

(5) आवेदन करने की तिथी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित वर्ग के विरूद्ध नहीं।

(7) आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के

संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

(8) तृतीय श्रेणी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति **तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर की जावेगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(9) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, अथवा कोई महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी जीवित हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगा।

(10) कोई अभ्यर्थी जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध में सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(11) छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्ते) कर्मचारी नियम, 2023 के नियम–9 के अनुसार सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी अनर्ह नहीं होना चाहिए।

(12) आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

(13) अभ्यर्थी की आयु का निर्धारण उसके द्वारा प्रस्तुत हाईस्कूल प्रमाण पत्र (कक्षा 10 वी) के अंकसूची में दिये गये जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2026 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पदनाम स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (हिन्दी)/सहायक ग्रेड–03 पद पर नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र लिखा हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ0ग0) के कार्यालय में रखे ड्राप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 14.08.2026 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र (समाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) निवास प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

(3) अभ्यर्थी यदि स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड–3 के दोंनो पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

(4) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के शासकीय वेबसाईट https://rajnandgaon.dcourts.gov.in में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।

(5) आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का नाम एवं दिनांक अंकित नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लगा हुआ चाहिए। आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने पहचान के लिए आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(6) ई–मेल, फैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

(7) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

(8) शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को आवेदन के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(9) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि हो या आवेदन पत्र अपूर्ण हो तो त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लियेः–

(अ) लिखित परीक्षा–

लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित इत्यादि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा का समय 01 (एक) घंटा की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से वरीयता क्रम में 01 पद के विरूद्ध 20 गुणा उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। यदि समान अंक पाने वाले अंतिम अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, तब उन सभी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(ब) कौशल परीक्षा–

उम्मीदवारों से 100 (एक सौ) शब्द प्रति मिनट की गति से 03 (तीन) मिनट का लगभग 300 (तीन सौ) शब्द का हिन्दी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे निर्धारित समय 20 (बीस) मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 (आधा अंक) काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसाफ्ट वर्ड में ली जावेगी।

2. सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर अमले)) पद के लिये –

(अ) लिखित परीक्षा–

लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित इत्यादि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा का समय 01 (एक) घंटा की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से वरीयता क्रम में 01 पद के विरूद्ध 20 गुणा उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। यदि समान अंक पाने वाले अंतिम अभ्यर्थी की संख्या एक से अधिक है, तब उन सभी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(ब) कौशल परीक्षा–

उम्मीदवारों से 2000 key depression की हिन्दी गद्यांश एवं 500 key depression की अंग्रेजी गद्यांश को, निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 (आधा अंक) काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसाफ्ट वर्ड में ली जावेगी।

–: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :–

स्टेनोग्राफर हिन्दी तथा सहायक ग्रेड–03 के पद पर चयन हेतु केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की वर्गवार चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंक इस हेतु मापदण्ड होगा।

–: महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवार के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ.ग.) का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

6. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

7. लिखित एवं कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना व प्रवेश पत्र जिला न्यायालय राजनांदगांव की वेबसाइट https://rajnandgaon.dcourts.gov.in पर अपलोड की जावेगी। लिखित तथा कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र पृथक से नहीं भेजी जावेगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों का कोई भी साक्षात्कार आयोजित नहीं कराया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के पासपोर्ट फोटो कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड/वाहन चालन लाइसेंस/मतदाता परिचय पत्र/पेनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

8. आवेदक आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ अतिरिक्त लिफाफा एवं अतिरिक्त रंगीन पासपोर्ट फोटो संलग्न करें।

9. लिखित तथा कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट https://rajnandgaon.dcourts.gov.in तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित दावा आपत्ति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में पेश कर सकेगें। अंतिम पात्र सूची दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी।

11. लिखित परीक्षा की तिथि पृथक से सूचित किया जावेगा ।

12. अभ्यर्थीगण नियमित रूप से कार्यालय के वेबसाईट https://rajnandgaon.dcourts.gov.in का अवलोकन करते रहें ।

महत्वपूर्ण टीपः–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह (योग्य) मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह (अयोग्य) पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

22/7/2026

राजनांदगांव–
दिनांक– 22-07-2026

अध्यक्ष
विभागीय चयन समिति,
कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (हिन्दी), सहायक ग्रेड–3 (निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर अमले)) के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....
3. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]
4. पिता /पति का नाम : ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
   (हिन्दी में) ....
   ....
   (ब) स्थाई पता : ....
   (हिन्दी में) ....
   ....
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) [| | | | | | |]
   (शब्दों में) : ....
   (ब) दिनांक 01/01/2026 को आयु:– .... वर्ष .... माह .... दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हां/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) का सदस्य है ? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ समाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

12. क्या आप विवाहित हैं? हॉ/नहीं

13. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

14. जीवित बच्चों की संख्या

क्र.	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित संलग्न करें)

17. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

टीप - प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम		संलग्न है/संलग्न नहीं।
1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र	:	....
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र	:	....
3. स्नातक प्रमाण पत्र	:	....
4. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	:	....
5. शीघ्रलेखन संबंधी प्रमाण पत्र	:	....
6. मुद्रलेखन संबंधी प्रमाण पत्र	:	....
7. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र	:	....
8. छ.ग. का जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र)	:	....
9. अन्य -	:	....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक का हस्ताक्षर -

आवेदक का पूरा नाम -

मोबाईल नं.-

ई-मेल-